फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 फ्लोर, जे वी टी टावर, 8 मैन रोड, एस आर नगर, बैंगलौर, कर्नाटका में स्थित होकर कार्यरत है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुभाष आर्चाय **— प्रार्थी**

बनाम

1. श्री चम्पालाल कुमावत पुत्र श्री बंशीलाल कुमावत जाति कुमावत, निवासी कुमारिया खेडा, नमाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद 313323 **—ऋणी**
2. श्रीमती भाग्यवन्ती कुमावत पत्नि श्री चम्पालाल कुमावत जाति कुमावत, निवासी कुमारिया खेडा, नमाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद 313323 राजसमन्द(राज.) **—सहऋणी एवं बन्धककर्ता**
3. श्री प्रकाश चन्द्र कुमावत पुत्र श्री लेहरू कुमावत जाति कुमावत निवासी मकान नं0 107, देवरो के आगे, कुमारिया खेडा, जिला राजसमन्द 313324

— जमानती
— विपक्षीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 91/2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.01.2023 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ने दिनांकः 12.12.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 ने कम्पनी से दिनांक 31.03.2018 को 8,37,729/— अक्षरे आठ लाख सैंतिस हज़ार सात सौ उन्नतिस रूपये का ऋण लिया था। विपक्षी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गीरवीकृत किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः— बन्धक सम्पत्ति का विवरण :— श्री चम्पालाल कुमावत पुत्र श्री बंशीलाल कुमावत जाति कुमावत की संपत्ति जो खसरा संख्या 473, ग्राम कुमारिया खेडा, नमाना, कोठारिया जिला राजसमन्द(राज.) पर स्थित हैं जिसमें भवन भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 800 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :— पूर्व — श्री रामलाल का खेत, पश्चिम — रास्ता,	

न्यायालय जिला कलेक्टर

उत्तर – श्री बंशीलाल का मकान, दक्षिण – श्री सोसर का मकान। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 09.07.2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। विपक्षीगण के खाते में दिनांक 18.07.2022 को बकाया राशि 11,48,835/– अक्षरे ग्याहर लाख अडतालिस हजार आठ सौ पैतिस रूपये तक शेष व देय निकलते है व दिनांक 19.07.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 18.07.2022 का टंकित नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मॉग के भी प्रार्थी कम्पनी को नही किया हैं। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनूसार प्रार्थी कलम संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति कब्जा प्राप्त करनें व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :–

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receiopt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assetes [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 18.07.2022 को जारी किया

न्यायालय जिला कलक्टर

गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। जिसकी प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री चम्पालाल कुमावत पुत्र श्री बंशीलाल कुमावत जाति कुमावत की संपत्ति जो खसरा संख्या 473, ग्राम कुमारिया खेडा, नमाना, कोठारिया जिला राजसमन्द(राज.) पर स्थित हैं जिसमें भवन भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 800 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – श्री रामलाल का खेत, पश्चिम – रास्ता, उत्तर – श्री बंशीलाल का मकान, दक्षिण – श्री सोसर का मकान है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल् दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)